

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 182/2024

दायर दिनांक - 20.10.2024

उत्तरवान

1. जाकिर हुसैन पिता अजीज मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
2. मोहम्मद रफीक पिता अजीज मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
3. मोहम्मद शरीफ पिता अजीज मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
4. मोहम्मद हनीफ पिता अजीज मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
5. रुस्तम अली पिता अजीज मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
6. सदाम हुसैन पिता अजीज मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।

————(प्रार्थीगण)

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता भीसा नाथ नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
2. गोपाल पिता भीसा माली नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
3. हुसैन बक्ष पिता जानी मोहम्मद नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
4. मेहरून निशा पत्नि शमसुदीन नीलगर नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।
5. चिरंजी लाल पिता इन्द्रमल महाजन नि. कोठिया तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा।

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थीगण अभिवक्ता— श्री गदिना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 20.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1224 के आ.न. 1859, 1867, 1869, 1873, 1883 कुल किता 05 कुल रकबा 02.3100 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा विद्ध नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को बजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1224 के आ.न. 1859, 1867, 1869, 1873, 1883 कुल किता 05 कुल रकबा 02.3100 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीगण को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढ़ी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वागित्व का घेतक नहीं है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,